

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक/1149/न्या.लि./कोरोना सेल/2020

रायगढ़, दिनांक 23/07/2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
रायगढ़


विषय :- कोविड-19 से सम्बंधित कन्टेनमेंट जोन एवं क्वारन्टाईन सेन्टरों की नियमित जानकारी के सम्बंध में।

संदर्भ :- आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर का पत्र क्रमांक 1457/2020, दिनांक 21-07-2020.


-00-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है) संदर्भित पत्र में उल्लेख है कि आपके एवं इस कार्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा नियमित रूप से भेजे जाने वाले विषयांकित जानकारी में काफी विसंगतियाँ रहती है।

अतः आयुक्त महोदय बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को विषयांकित के सम्बंध में नियमित भेजी जाने वाली जानकारी को कलेक्टर महोदय से अनुमोदन कराया जाकर ही जानकारी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


अपर कलेक्टर

एवं अपर जिला दण्डाधिकारी,


 रायगढ़(छ0ग0)

पृ.क्रमांक/1149^A/न्या.लि./कोरोना सेल/2020


रायगढ़, दिनांक 23/07/2020

प्रतिलिपि :-

- 1- आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी, कोराना वायरस (कोविड-19) जिला कार्यालय रायगढ़ की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अपर कलेक्टर

एवं अपर जिला दण्डाधिकारी,

 रायगढ़(छ0ग0)